



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष , 1943 (श०)

संख्या- 661 राँची, शुक्रवार,

24 दिसम्बर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-05/2021-99-लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-21/12/2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-14, 2021)

झारखण्ड राज्य में नियोक्ता द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का पचहत्तर प्रतिशत नियोजन तथा उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह अधिनियम वैसे दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उपक्रमों, उद्योगों, कंपनियों, सोसाइटियों, न्यासों, सीमित दायित्व भागीदारी फ़र्मों, भागीदारी फ़र्म और दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले किसी व्यक्ति और किसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा।
- (3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

2. परिभाषाएँ:-

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अपीलीय प्राधिकार” से अभिप्रेत है, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड सरकार;
- (ख) “प्राधिकृत पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, संबन्धित जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी;
- (ग) “अभिहित पदाधिकारी” से अभिप्रेत है, संबन्धित जिला के उपायुक्त;
- (घ) “अभिहित पोर्टल” से अभिप्रेत है, धारा 3 तथा 4 के अधीन स्थानीय उम्मीदवारों तथा कर्मचारियों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रूपांकित तथा अभिहित कोई पोर्टल;
- (ङ) “नियोक्ता” से अभिप्रेत है, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ड) में परिभाषित उपक्रम अथवा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 (घ) में उपक्रम के रूप में परिभाषित उद्योग अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन परिभाषित कोई कंपनी अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फ़र्म अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन यथा परिभाषित कोई न्यास अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन यथा परिभाषित कोई भागीदारी फ़र्म अथवा विनिर्माण के प्रयोजन अथवा कोई सेवा उपलब्ध करवाने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाए।

इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे; किन्तु केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे;

- (च) “सरकार” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार;

(छ) “स्थानीय उम्मीदवार” से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वैसे उम्मीदवार जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो तथा अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत हों;

3. अनिवार्य पंजीकरण :-

प्रत्येक नियोक्ता, इस अधिनियम के लागू होने के तीन मास के भीतर, अभिहित पोर्टल पर रु. 40,000/- (चालीस हजार रुपये) से अनधिक या सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों को पंजीकृत करेगा:

परंतु किसी भी नियोक्ता द्वारा कोई भी व्यक्ति तब तक नियोजित या लगाया नहीं जाएगा, जब तक ऐसे सभी कर्मचारियों का पंजीकरण अभिहित पोर्टल पर पूरा नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण - इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के लिए वह प्रक्रिया होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित नियमों के अधीन विहित की जाय।

4. स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती:-

- (i) इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद प्रत्येक नियोक्ता रु. 40,000/- (चालीस हजार रुपये) से अनधिक या सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्ति का पचहत्तर प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा।
- (ii) उक्त विधि से स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन के क्रम में संबन्धित प्रतिष्ठान के अधिष्ठापन के कारण विस्थापित, संबन्धित जिला के स्थानीय उम्मीदवार तथा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा।
- (iii) परंतु यह कि कोई भी स्थानीय उम्मीदवार, इस अधिनियम के अधीन लाभों के उपभोग हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह अपने आप को अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा लेता/लेती है।

5. छूट :-

- (1) नियोक्ता, ऐसे प्रपत्र एवं रीति, जो विहित की जाए, द्वारा अभिहित पदाधिकारी को आवेदन कर धारा 4 की अपेक्षा से छूट का दावा कर सकता है, जहां वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है।
- (2) अभिहित पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक जांच समिति गठित होगी जिसके निम्न सदस्य होंगे :-

- (i) संबन्धित संस्था, जिस स्थान पर अधिष्ठापित हो, उक्त स्थान से संबन्धित स्थानीय विधायक अथवा नामित प्रतिनिधि;
- (ii) उप विकास आयुक्त;
- (iii) जिस अंचल के अंतर्गत संस्था अधिष्ठापित हो, उस अंचल के अंचलाधिकारी;
- (iv) संबन्धित जिले के श्रम अधीक्षक;
- (v) संबन्धित जिले के जिला नियोजन पदाधिकारी

- (3) अभिहित पदाधिकारी जिला स्तरीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए प्रयास का मूल्यांकन करने के बाद नियोक्ता के दावे को स्वीकार कर सकता है/रद्द कर सकता है या नियोक्ता को निदेश दे सकता है कि स्थानीय उम्मीदवारों को समय-समय पर विहित रीति से प्रशिक्षित कर नियोजित करे। अभिहित पदाधिकारी द्वारा इस उप-धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को सरकार के अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा ।

6. नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना:-

प्रत्येक नियोक्ता, रिक्ति एवं नियोजन से संबन्धित त्रैमासिक प्रतिवेदन अभिहित पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र एवं तिथि के अनुसार उपलब्ध करायेगा ।

7. अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुँच, सत्यापन करने की शक्ति:-

- (1) धारा 6 के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की जांच प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जाएगी ।
- (2) प्राधिकृत पदाधिकारी को धारा 6 के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए किसी नियोक्ता के कब्जे में किसी अभिलेख, सूचना या दस्तावेज की मांग करने की शक्तियाँ होंगी ।
- (3) प्राधिकृत पदाधिकारी, प्रतिवेदन की जांच करने के बाद, कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की अनुपालना करने के लिए आवश्यक हो
- (4) प्रत्येक नियोक्ता प्राधिकृत पदाधिकारी को सभी प्रकार से सहायता प्रदान करेगा और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।
- (5) उपधारा (3) एवं (4) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऐसा आदेश सरकार के अभिहित पोर्टल पर डाला जाएगा ।

8. अपील :-

- (1) धारा 5 के अधीन अभिहित पदाधिकारी अथवा धारा 7 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता, ऐसे अपीलीय प्राधिकार को साठ दिन के भीतर ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है ।
- (2) उप- धारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस लगाई जाएगी जो विहित की जाए ।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति के उपरांत अपीलीय प्राधिकार, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद, साठ दिन के भीतर अपील का निपटान करेगा ।
- (4) अपीलीय प्राधिकार ऐसे आदेश को विखंडित, पुष्ट या संशोधित कर सकता है ।
- (5) अपीलीय प्राधिकार ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए

9. सामान्य शास्ति :-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अधिनियम के अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन किया गया हो, तो वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे पचास हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, और यदि उल्लंघन दोष सिद्ध होने के बाद भी जारी रहता है, तो इस प्रकार उल्लंघन जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए दायी होगा।

10. धारा 3 के उल्लंघन के लिए शास्ति :-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम की धारा 3 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या इसके अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, और यदि उल्लंघन दोषसिद्ध होने के बाद भी जारी रहता है, तो इस प्रकार उल्लंघन जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

11. धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति:-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, इस अधिनियम की धारा 4 या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों या इसके अधीन दिए गए लिखित में किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, और यदि उल्लंघन दोषसिद्ध होने के बाद भी जारी रहता है, तो इस प्रकार उल्लंघन जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

12. धारा 5 के अधीन जारी किए गए निर्देश की अवज्ञा के लिए शास्ति :-

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता, धारा 5 के अधीन अभिहित पदाधिकारी द्वारा किए गए लिखित में किसी आदेश की अवज्ञा करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, और यदि उल्लंघन दोषसिद्ध होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघन जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

13. अभिलेख इत्यादि के मिथ्याकरण और प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति:-

(1) जो कोई भी नियोक्ता :-

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज के बारे में झूठे अभिलेख प्रस्तुत करता है या जालसाजी करता है या जानबूझकर कोई झूठा कथन, घोषणा करता है या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या प्रयोग करता है; या

(ख) विवरण, इन्द्राज या ब्यौरे देते हुए जानबूझकर कोई झूठी विवरणी तैयार करता है, नोटिस देता है, अभिलेख या प्रतिवेदन परिदत्त करता है, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय होगा।

(2) जहां उप- धारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए दोबारा दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दंडनीय होगा।

13 (क) शास्ति की वसूली :-

जहाँ धारा-9, 10, 11, 12 एवं 13 के अधीन किसी नियोक्ता पर अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय नहीं किया जाता है, वहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे नियोक्ता से देय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकेगा, जिसपर उसके हस्ताक्षर होंगे और उसे उस जिले के उपायुक्त/ जिला दंडाधिकारी/ जिला समाहर्ता को, जिस जिले में ऐसा नियोक्ता अपना कारोबार करता है, भेजेगा और उक्त उपायुक्त/ जिला दंडाधिकारी/ जिला समाहर्ता ऐसे प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे नियोक्ता से वसूल करने के लिए वैसे ही अग्रसर होगा मानो वह बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत भू-राजस्व का बकाया हो।

14. सुनवाई का नोटिस तथा अवसर :-

(1) इस अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक नियोक्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक संबद्ध व्यक्ति को अभिहित पदाधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के आधारों को लिखित रूप में सूचित करने और उसे सुनवाई का अवसर देने का नोटिस नहीं दे दिया जाता है।

15. अभियोजन की परिसीमा और अपराध का संज्ञान :-

अनुमण्डल दंडाधिकारी से अन्यून कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक प्राधिकृत पदाधिकारी या अभिहित पदाधिकारी द्वारा कथित अपराध होने की जानकारी की तिथि से छह मास के भीतर उसके संबंध में कोई शिकायत नहीं की जाती है।

व्याख्या - इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

- (i) अपराध जारी रहने की दशा में, परिसीमा की अवधि, अपराध जारी रहने के दौरान हर समय के संदर्भ में संगणित की जाएगी;
- (ii) जहां कोई कार्य करने के लिए, नियोक्ता द्वारा किए गए आवदेन पर समय प्रदान या विस्तारित किया जाता है, तो इस प्रकार प्रदान या विस्तारित समय की समाप्ति तिथि से परिसीमा की अवधि संगणित की जाएगी।

16. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण :-

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकृत पदाधिकारी या अभिहित पदाधिकारी या ऐसे प्राधिकृत पदाधिकारी या अभिहित पदाधिकारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी वाद या विधिक कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

17. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति:-

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से जो असंगत नहीं हो ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हों।

18. अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी/लागू करने की शक्ति:-

सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु समय-समय पर लिखित निदेश या आदेश निर्गत कर सकती है।

19. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना:-

तत्समय लागू राज्य की किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध का अध्यारोही प्रभाव होगा।

20. नियम बनाने की शक्ति:-

- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, छः महीने के अन्दर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-05/2021-100—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- 21/12/2021 को अनुमत झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE EMPLOYMENT OF LOCAL CANDIDATES IN PRIVATE SECTOR ACT, 2021

(Jharkhand Act, 14, 2021)

An Act to provide seventy-five percent employment of local candidates in private sector by employer in the State of Jharkhand and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called "The Jharkhand State Employment of Local Candidates in Private Sector Act, 2021".
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand. This Act applies to such Shops, Establishments, Mines, Enterprises, Industries, Companies, Societies, Trusts, Limited Liability Partnership Firms, Partnership Firm and any person employing ten or more persons in private sector and an entity, as may be notified by the Government, from time to time.
- (3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the official Gazette, specify.

(4)

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appellate Authority" means Director, Employment & Training, Government of Jharkhand.
- (b) "Authorized Officer" means District Employment Officer/ Employment Officer of the concerned district.
- (c) "Designated Officer" means Deputy Commissioner of the concerned district.
- (d) "Designated portal" means a portal specifically designed and dedicated for the purpose of registration of local candidates and employees under sections 3 and 4;

- (e) “**Employer**” means an Enterprise defined under section 2(e) of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 or Industry as an undertaking as defined under section 3 (d) of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or Company defined under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) or a Limited Liability Partnership Firm as defined under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) or a Trust as defined under the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or a Partnership Firm as defined under the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932) or any person employing ten or more persons or such entity, as may be notified by the Government from time to time, for salary, wages or other remuneration for the purpose of manufacturing or providing any service;

The Central Government or the State Government enterprises shall not be included in it but the provisions of this Act shall apply on the organizations providing services through outsourcing to the Central Government or the State Government establishment/ enterprises.

- (f) “**Government**” means the Government of the State of Jharkhand;
- (g) “**Local Candidate**” means a candidate who is belonging to the State of Jharkhand and registered on the designated portal as may be notified by Government from time to time.

3. **Compulsory registration**

Every employer shall, register such employees receiving gross monthly salary or wages not more than Rs. 40,000/- (Forty Thousand Rupees) or as the limit notified by the Government, from time to time, on the designated portal, within three months of coming into force of this Act:

Provided that once designated portal is developed and notified, no person shall be employed or engaged by any employer unless the registration process of all such employees is completed on the designated portal.

Explanation- For the purpose of section 3 and section 4 of this Act, process of registration on designated portal shall be such as may be prescribed under the rules notified by the Government, from time to time.

4. **Recruitment of local candidates**

- (i) Every employer shall fill up seventy-five percent of the total existing vacancies on the date of notification of this Act and subsequent thereto by local candidates with respect to such posts where the gross monthly salary or wages are not more than Rs. 40,000/- (Forty Thousand Rupees) or as the limit notified by the Government, from time to time.
- (ii) During the process of employment of Local Candidates attention will be given to the representation of the displaced due to the establishment of the concerned institution, Local Candidates of the concerned district and all classes of the society.
- (iii) Provided that no local candidate shall be eligible to avail the benefits under this Act unless he/she registers himself/herself on the designated portal.

5. **Exemption**

- (1) The employer may claim exemption from section 4, where adequate number of local candidates of the desired skill, qualification or proficiency are not available by applying to the Designated Officer in such form and manner as may be prescribed.
- (2) An inquiry committee will be constituted under the chairmanship of the Designated Officer consisting of:-
 - (i) Member of Legislative Assembly (MLA) of that area, where the concerned institution is established or his nominated representative.
 - (ii) Deputy Development Commissioner (DDC).
 - (iii) Circle Officer (CO) of the Circle where the institution is established.
 - (iv) Labour Superintendent of the concerned district.
 - (v) District Employment Officer of the concerned district.
- (3) On the basis of the inquiry report of the district level inquiry committee and after evaluating the attempt made by the employer to recruit local candidates of the desired skill, qualification or proficiency the Designated Officer may either accept or reject the claim of the employer or

direct the employer to train & employ local candidate in such manner as may be prescribed from time to time. Every order made by the Designated Officer under this sub-section, shall be placed on the designated portal of the Government.

6. Employer to furnish Report

Every employer shall furnish a quarterly report about vacancies & employment in such format & by such date as may be prescribed on the designated portal.

7. Power to access, verify records and documents

- (1) The report furnished by the employer under section 6 shall be examined by the Authorized Officer.
- (2) The Authorized Officer shall have powers to call for any record, information or document in the possession of any employer for the purposes of verifying the report furnished under section 6.
- (3) The Authorized Officer, after examination of the report, may pass such order, as it deems fit for complying with the objectives of this Act.
- (4) Every employer shall render all assistance to the Authorized Officer and in case he fails to do so without any reasonable cause, he shall be guilty of an offence under this Act.
- (5) Every such order issued under sub-section (3) and (4) shall be placed on the designated portal of Government.

8. Appeal

- (1) Any employer aggrieved by an order passed by the Designated Officer under section 5 or by the Authorized Officer under section 7, may within sixty days, prefer an appeal to such Appellate Authority, in such form and in such manner, as may be prescribed.
- (2) Every appeal preferred under sub-section(1) shall be accompanied by such fees, as may be prescribed.
- (3) After the receipt of appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal within sixty days.
- (4) The Appellate authority may rescind, confirm or modify such order.
- (5) The Appellate authority shall follow such procedure, as may be prescribed.

9. General penalty

Save as otherwise expressly provided in this Act, if there is any contravention by the employer of the provisions of this Act or rules made there under or of any order in writing given under this Act, he shall be liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees, which may extended up to fifty thousand rupees, and if the contravention continues even after the order of penalty, then further penalty shall be imposed which shall be one thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

10. Penalty for contravention of section 3

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes the provisions of section 3 of this Act or of any rules made there under or of any order in writing given there under, he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to one lakh rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may extend to two thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

11. Penalty for contravention of section 4

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer contravenes provisions of section 4 or of any rules made there under or of any order in writing given there under, he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may extend to five thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

12. Penalty for disobedience of direction issued under section 5

Save as otherwise expressly provided in this Act, if any employer disobeys any order in writing made by the Designated Officer under section 5, he shall be guilty of an offence punishable with penalty which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh

rupees and if the contravention is still continued after conviction, with a further penalty which may extend to five thousand rupees for each day till the time contravention is so continued.

13. Penalty for falsification and non-furnishing of records etc.

(1) Any Employer-

- (i) produces false records or counterfeits or knowingly makes or produces or uses a false statement, declaration or evidence regarding any document in connection with compliance of any of the provisions of this Act or any rules made there under; or
 - (ii) makes, gives or delivers knowingly a false return, notice, record or report containing a statement, entry or detail, Shall be punishable with penalty which may extend to fifty thousand rupees for each offence.
- (2) Where any person convicted of an offence punishable under sub-section (1) is again convicted of an offence under the same provision, he shall be punishable with penalty which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

13 (A). Recovery of Penalty

Where any penalty imposed on any employer under section 9, 10, 11, 12 and 13 is not paid. The Authorized Officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such employer and send it to the Deputy Commissioner/District Magistrate/District Collector of the District in which such employer carries on his business and the said Deputy Commissioner/District Magistrate/ District Collector on receipt of such certificate shall proceed to recover from such employer the amount specified there under as if it were an arrear of land revenue under Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914.

14. Notice and opportunity to be heard

- (1) No order under this Act shall be passed under section 5 or section 7 unless an opportunity of being heard is provided to the employer.
- (2) No penalty under this Act shall be imposed unless the person concerned is given a notice in writing by the Designated Officer, informing him of the grounds of penalty which is proposed to be imposed on him and providing him an opportunity to be heard.

15. Limitation of prosecution and cognizance of offence

No Court below the rank of Sub Divisional Magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this Act, unless a complaint in respect thereof is made within six months of the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the Authorized Officer or Designated Officer.

Explanation- For the purposes of this section,-

- (i) in the case of a continuing offence, the period of limitation shall be computed with reference to every point of time during which the offence continues;
- (ii) Where for the performance of any act, time is granted or extended on an application made by the employer, the period of limitation shall be computed from the date on which the time so granted or extended expired.

16. Protection of action taken in good faith

No suit or other legal proceedings shall lie in any Court against any Authorized Officer or Designated Officer or against any person or body of persons acting under the order or direction of such Authorized Officer and Designated Officer for anything which is done in good faith, or intended to be done in pursuance of provisions of this Act.

17. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, within two years since commencement of the Act by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.

18. Power to issue effect to the provision of this Act

The Government may, from time to time, issue directions or order in writing for giving effect to the provision of this Act.

19. Act to have overriding effect

Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State for the time being in force or any instrument having effect by virtue of such law, the provision of this Act shall have overriding effect.

20. Power to make rules

- (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.
- (2) Every rule framed under this Act shall be laid before the legislature of the State within six months of its formation.

Be it enacted by the legislature of Jharkhand in the Seventy second years of the Republic of India as follows-

1. Short title, extent and commencement-

- (1) This Act may be called the Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
- (2) It shall extend to whole of the State of Jharkhand excepting the areas to which the provisions of the Jharkhand Municipal Act, 2011 (Jharkhand Act No. 7 of 2012) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.
- (3) It shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Section 24 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001) (hereinafter referred as the Principal Act) - (1) sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act shall be substituted as follows :-

“(4) If the Gram Panchayat is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Panchayat for a term not exceeding six months within which the Gram Panchayat shall be reconstituted according to the provisions of this Act.”

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act as Follows:-

“(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Gram Panchayat or Gram Panchayats, citing proper causes the State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Gram Panchayat or those Gram Panchayats for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election”

3. Amendment of Section 42 of the Principal Act- (1) sub-section (4) of Section 42 of the Principal Act as shall be substituted as follows :-

“(4) If the Panchayat Samiti is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Panchayat Samiti for a term not exceeding six months within which the Panchayat Samiti shall be reconstituted according to the provisions of this Act.”

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 42 of the Principal Act as Follows:-

“(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Panchayat Samiti or Panchayat Samities, citing proper causes the State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Panchayat Samiti or those Panchayat Samities for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election”

4. Amendment of Section 57 of the Principal Act- (1) sub-section (4) of Section 57 of the Principal Act as shall be substituted as follows :-

“(4) If the Zila Parishad is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Zila Parishad for a term not exceeding six months within which the Zila Parishad shall be reconstituted according to the provisions of this Act.”

(2) A new sub-section (5) shall be inserted after sub-section (4) of Section 57 of the Principal Act as Follows:-

“(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Zila Parishad or Zila Parishads, citing proper causes State Government may take decision to enforce provisions of section (107) for that Zila Parishad or those Zila Parishads for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election”

5. Amendment of Section 107 of the Principal Act - A new sub-section (6) shall be inserted after sub-section (5) of Section 107 of the Principal Act as follows :-

“(6) If due to pandemic, it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, citing proper causes the State Government may take decision to enforce provisions of sub section (3) (b) (c) and sub section (4) of section (107) for that Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election ”

6. **Repeal and Saving:** - Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. Notwithstanding such repeal, all rules, orders and notifications published, proceedings and any other action taken in the exercise of powers conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of power conferred by or under this Act, as if, this Act was in force on the day on which such thing were done or action taken.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
